कृषिविज्ञानकेन्द्र,करौली
KrishiVigyan Kendra, Karauli

गांव एकोराशी–पोस्ट,ढिढोंरा–हिण्डौनसिटी– करौली-322230 (राजस्थान)

Village-Akorashi, Post-Dindora,Hindaucity –Karauli 322230 (Rajasthan)

(कृषिविश्वविद्यालय,कोटा)

(Agriculture University, Kota)

Dr. Bacchu Singh
Senior Scientist and Head

Tel. -9414974292
Email- kvk.hnd.karauli@ gmail.com

No. F.25( )/KVK/HND/Unservicable Auction/2024-25/ 423-427 Dated. 16.01.2025

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में अनुपयोगी सामान, 01 अनुपयोगी बोलेरो सहित की नीलामी खुली बोली द्वारा दिनांक 28.01.2024 को दोपहर 1:00 बजे इस कार्यालय परिसर में गठित कमेटी के समक्ष जैसा है, जहां है, के आधार पर की जाएगी।

कार्यालय में विद्यमान नाकारा/अनुपयोगी सामान, अनुपयोगी बोलेरो सहित का आरक्षित मूल्य 1,21,700 रुपये है। कोई भी इच्छुक, बोलीदाता नीलामी से पूर्व अमानत राशि रुपये 2434/– नगद अथवा कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, करौली के ICICI शाखा हिण्डौन सिटी के खाता संख्या 686301133335, IFSC Code ICICI0006863 में जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी की शर्तों का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर या http://sppp.jajasthan.gov.in तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://aukota.org से डाउनलोड किया जा सकताहै।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
2. निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
3. नोडल अधिकारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, नीलामी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड, पंचायत समिति, हिण्डौन, करौली।
5. नोटिस बोर्ड, कृषि विज्ञान केन्द्र, हिण्डौन, करौली।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

नीलामी की शर्तेः—

1. नीलामी में बोली लगाने वाले बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व अमानत राशि के रूप में रुपये 2434/— नगद अथवा कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, करौली के ICICI शाखा हिण्डौन सिटी के खाता संख्या 686301133335, IFSC Code ICICI0006863 में जमा करवाना आवश्यक है। इसके अभाव में कोई भी बोलीदाता नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकृत नहीं होगा।
2. निविदादाता के पास आयकर का पेन (PAN) व आधार होना आवश्यक है तथा उक्त दस्तावेज की सत्यापित प्रति कार्यालय में जमा करवानी होगी अथवा माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी) पंजीकरण होना चाहिए।
3. सफल बोलीदाता (उच्चतम बोलीदाता) जिसके नाम बोली स्वीकृत की जावेगी को सामान की पूरी राशि उसी समय अमानत राशि को कम करते हुए कार्यालय में जमा करवाकर सामान को उसी दिन (बोलेरो पांच दिनों के भीतर) स्वयं के खर्चे पर कार्यालय समय में उठाना होगा। असफल बोलीदाताओं की ईमडी नियमानुसार वापस कर दी जाएगी। उसके बाद सामान की इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशानुसार नियमानुसार कर (टेक्स) लागू होगा जो क्रेता को वहन करना होगा।
4. अगर नीलामी में उचित राशि प्राप्त नहीं होती है तो नीलामी कमेटी को नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. नीलामी कमेटी बिना कारण बतायें किसी भी बोली को अस्वीकार कर सकती है।
6. नाकारा अनुपयोगी सामान जहां है, जैसा है नीलाम किया जाएगा।
7. नाकारा अनुपयोगी सामान, अनुपयोगी बोलेरो को अवलोकन कार्यालय समय में कभी भी किया जा सकता है।
8. अन्तिम बोली पर बोली छोड़ने अथवा न छोड़ने का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
9. शर्तों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी व कमी उपस्थित कमेटी द्वारा की जा सकती है।
10. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र हिण्डौन रहेगा।
11. नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सफल बोलीदाता को जीएसटी सहित पूर्ण भुगतान करने के बाद सामान उठाना होगा।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

मैं/हम प्रमाणित करते है कि मैंने/हमने नीलामी की सामान्य नियम एवं शर्तों को पढ़ लिया है तथा मैं/हम सामान्य नियम एवं शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर व मुहर